

कृषि वानिकी योजना

हरियाली मशन के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लए कृषक बंधुओ के सहयोग से कृष वानिकी योजना संचालित किया जा रहा है।

1. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को उनके पसंद के पौधे (यथासंभव) बरसात के मौसम में अपने खेत/बगान/मेढ पर लगाने के लए निःशुल्क दिये जाते हैं। किसानों को उनके पौधो की देखभाल के लये प्रोत्साहन राश भी दी जाती है। इन पौधो के बड़ा होने पर इससे होने वाली आय पर सम्पूर्ण अधिकार किसान बंधुओ का ही होता है।

2. योजना में शामिल होने की पात्रता :-

पौधों के लगाने के लिये आवेदक को अपने नाम से या लीज पर पौधे लगाने लायक भूमि होनी चाहिए। योजना में शामिल होने के लए भूमि की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। इस योजना में 100 से अधिक पौधे लगाये जाते है।

3. योजना में दिये जाने वाले लाभ:-

वृक्षारोपण एवं पौधो के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जाती है। पौधो की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर प्रथम वर्ष के अंत में 10/-रुपये, द्वितीय वर्ष के अंत में 10/-रुपये एवं तृतीय वर्ष के अंत में 15/-रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है। वृक्षारोपण पूरे खेत में 2 मी0 /2 मी0 या 3 मी0 /3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेढ पर लगाया जाता है।

आवेदन कैसे करें –

कृष वानिकी योजना में सम्मिलित होने के लए निर्धारित प्रपत्र में वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालयों में आवेदन किया जा सकता है अथवा वभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है | कृष वानिकी योजना में सम्मिलित होने के लए आवेदन पत्र या ऑनलाइन आवेदन माह सितम्बर तक किया जायेगा।

Online Apply

Click Here

<http://forestonline.bih.nic.in/onlineapply/registrationform.aspx>